न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–135/2021

विवेक कुमार..वादी
बनाम
हरि महतो..प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
19.06.2023	वादी की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 15.05.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के मात्र एक प्रतिवादी हरि महतो की मृत्यु दिनांक 20.03. 2023 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी हरि महतो के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे अपनी पत्नी मु0 दुलारी देवी एवं तीन लडके मनोज महतो, संजय महतो एवं अजय महतो तथा दो लडकियाँ लालसा देवी एवं सरोज देवी को छोड़कर मरे है। अतः वादपत्र से मृत प्रतिवादी हरि महतो का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसान का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें। जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी हरि महतो की मृत्यु हो गई है। वाद अभी उपस्थिति हेतु नियत है। प्रस्तुत आवेदन समय सीमा से दाखिल किया गया है। वादी के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–135/2021

विवेक कुमार..वादी
बनाम
हरि महतो...प्रतिवादी

लगातार 19.06.2023	लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी हरि महतो का नाम कलमजद करें तथा मृतक के विधिक वारिसान का नाम प्रतिस्थापित करें तद्पश्चात वादी की ओर से प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 24.07.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	